2017/00510

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री सूरजमल सारस्वत पुत्र श्रीराम सारस्वत निवासी जस्सूसर गेट बाहर, बीकानेर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत किस्म मुकदमा प्रथम सूचना अपील संख्या 261 / 17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.12.17	**: निर्णय :** 1. अपीलार्थी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी, कोलायत हाजिर नहीं। लोक सूचना अधिकारी के विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गई। 2. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक 02.8.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर से चाही गई थी। परन्तु अपीलार्थी को वांछित सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण यह अपील प्रस्तुत कर वांछित सूचना दिलवाने हेतु निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी के विभागीय प्रतिनिधि ने जवाब क्रमांक 2046 दिनांक 31.10.17 में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना, उपखण्ड अधिकारी, कोलायत से संबंधित होने के कारण कार्यालय के पत्रांक 1350 दिनांक 30.8.17 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को निधारित समयावधि में हस्तानान्तरित करते हुए अपीलार्थी को रजिस्टर्ड–पत्र से सूचित करते हुए यह निर्देश दिये गये है कि अपील का जवाब प्रस्तुत करें व वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवावें। 4. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा ना तो अपील का जवाब पेश किया गया तथा ना ही उनके प्रतिनिधि नियत पेशी पर उपस्थित आये है। 5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के धारण/नियंत्रण में हो तो वांछित सूचना नियत समयावधि में अपीलार्थी को दी जानी चाहिए थी। 6. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार अपीलार्थी के आवेदन–पत्र का निस्तारण 15 दिवस के अंदर किया जा कर उसकी सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को आवश्यक रूप से भिजवाई जावे। 7. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को पाबन्द किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत जारी नोटिस का जवाब समयावधि में इस न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा नियमित पैरवी करना सुनिश्चित करावें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कौताही नहीं बरती जावे। 8. निर्णय आज दिनांक 18.12.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (अनिल गुप्ता) प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर	